

फर्द अहकाम
अज अदालत -जिला कलक्टर,-मुकाम -भरतपुर
धीरेन्द्र सिंह बनाम जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर
किरम मुकदमा-अपील आर.टी.आई. नम्बर 55 सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
3/8/23	<p>प्रार्थी/अपीलान्त धीरेन्द्र सिंह पुत्र रामसरन जाजन पट्टी, मगोरा जिला मथुरा यूपी की यह अपील आर टी आई के तहत यह जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंगन फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।</p> <p>आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर को है। अतः प्राप्त मूल अपील को लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p>	

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

640
31/8/23
मूल अपील
वापस की गई